संख्या– 1621 /अड़तीस–5–2013–22सम/2013

प्रेषक,

राकेश कुमार ओझा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–5

लखनऊः दिनॉक 27 जून, 2013

विषयः– पेयजल की समस्या के त्वरित निदान हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति विकास खण्ड 50–50 इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्प की रिबोरिंग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है किशासनादेश संख्या–1289/अड़तीस–5–2013–22सम/2013, दिनांक 28 मई, 2013 के माध्यम से प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या के त्वरित निदान हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए प्रति विकास खण्ड 50 की दर से हैण्डपम्पों के रिबोर कराया जाना है।

2. मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि हैण्डपम्पों को रिबोर किये जाने मे उनके प्रस्तावों पर कार्यवाही नही की जा रही है। इस सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश दिनाक 28 मई, 2013 में उल्लिखित प्रति विकास खण्ड हैण्डपम्पों को रिबोर कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 संसद सदस्य / मा0 विधान सभा/ विधान परिषद सदस्य एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के रिबोरिंग सम्बन्धी प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर परीक्षणोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(राकेश कुमार ओझा)
सचिव

संख्याः 1621 (1)/अड़तीस–5–2013, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री , उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ग्राम्य विकास विभाग।
3. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0 लखनऊ।
9. निदेशक, एन0आई0सी, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत पत्र ई–मेल के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों को शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें।
10. सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी / गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
अनु सचिव।